पत्रांक विधि- 4(1)सा0पत्रा0/2016-2017/ 1056 / 1617024 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: २० जुलाई, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर
एवं वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के उल्लंघन अथवा प्राविधानों के विपरीत कृत्य के लिए अर्थदण्ड के प्राविधान किये गये हैं, किन्तु अर्थदण्ड आरोपित किए जाने हेतु तथ्यों की विवेचना अतिआवश्यक होती है । तथ्यों की विवेचना के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है । अत: आपकों निर्देशित किया जाता है कि प्राविधानों के उल्लंघन अथवा निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन न किये जाने के आधार पर तथा वाद के तथ्यों के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने की स्थिति में ऐसे तथ्यों का उल्लेख कर निर्धारण आदेश में ही करते हुए अर्थदण्ड आरोपणीय न पाये जाने की सुस्पष्ट विवेचना कर निर्धारण आदेश में ही कर दी जाये , जिससे ऐसे मामले में ऑडिट द्वारा भविष्य में आपत्ति किये जाने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

20/07/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
लखनऊ,उत्तर प्रदेश ।